न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु. नं 56/15 तारीख रजू 21.9.15

उनपान - मिनी बनाम महाराजसिंह वगैरह कुरकुश

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्रीराम प्रेरा सी गुप्ता Adv. ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को जरिये नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 29-9-15 को पेश हो।

2523-25
24-9-15

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

29/9/15 प्रार्थी वकील उप. / अप्रार्थी नं. 1 की ओरसे श्री हंसराम गुर्जर Adv. ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी नं. 2 व 3 के नोटिस बाद तामील प्राप्त नहीं हुए हैं बइन्तजार तामील व जबाब दिनांक 6.10.15 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

6/10/15 वकुलाय उप. / अप्रार्थी नं. 2 व 3 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है वकील अपपक्ष की अंतरिम निषेधाज्ञा बाबत बहस सुनी गई। अप्रार्थी नं. 1 के वकील ने द. 010 CPC पेश की। शामिल की जाती है इस पर भी बहस सुनी गई। वास्ते पुन: बहस दिनांक 14.10.15 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडा[illegible]

फर्द अहकाम

दिनांक	
14.10.15	वकुलाय उप०। वकील उभयपक्ष की पुन: अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विषय पर तथा दर. 10 CPC पर सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 26.10.15 को पेश हो।
26/10/15	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश पर हैं। गतानुसार दिनांक 27.10.15 को पेश हो। उपखण्ड कलक्टर टोडाभीम (करौली)
27.10.15	वकुलाय उप०। दर. 10 CPC पर बहस सुनी गयी। प्रा० पत्र 10 CPC खारिज किया जाता है। क्योंकि यह प्रार्थना पत्र वादी वकील द्वारा दावा पेश करने एवं नोटिस जारी करने के पश्चात ही पेश कर दिया है। वकील वादी ने इस दर: की बहस करते हुए कथन किया कि इस प्रकरण में वर्णित भूमि से सम्बन्धित अन्य कोई प्रकरण विचाराधीन भी है तो आगे की स्टेज पर विचार करने योग्य ~~हुआ~~। ~~अभी~~ होगा। इसलिए यह प्रार्थना पत्र धारा 10 CPC खारिज फरमाया जावे। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अभी नोटिस जारी हुए हैं। जवाब पेश किया जाना है। इसलिए इस स्टेज पर दर धारा 10 CPC खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: प्रार्थना पत्र धारा 10 CPC खारिज किया जाता है।
	वकील उभयपक्ष द्वारा अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पर की गयी बहस पर भी मनन करते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण खातेदार

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

क | फर्द अहकाम

काश्तकार है। इस प्रार्थना पत्र के साथ बंटवारे का दावा पेश किया हुआ है। मौके पर बाहमी बंटवारा भी किया हुआ है। किन्तु विपक्षीगण (गैरसायलान) सायलान को हैरान परेशान कर रहे हैं। सायलान के कब्जे काश्त की भूमि में मजाहमत मदाखलत करते हैं। इसलिए गैरसायलान को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे।

अप्रार्थी वकील ने कथन किया कि गैरसायलान सहखातेदार है। इसलिए सहखातेदार को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता।

अतः दोनो पक्षो की बहस सुनने के बाद अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से गैरसायलान को दावा के फैसला होने तक पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः गैरसायलान को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से तादावा फैसला पाबन्द किया जाता है कि ग्राम चुरपुरा के भूमि ख० न० 38, 39 40, 45, 47 50, 339 340, 394, 395, 397, 398/702, 402, 403 405 667, 668, कुल किता 17 कुल रकबा 4.67 है० एवं 555, 556 कुल किता 2 रकबा 0.82 है० पर रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। तथा रहन विक्रय न करे।

पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 01-12-15 को पेश हो।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner